फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नाथु — **विपक्षी : श्री मेघा**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 43/22**

जीसीएमएस : 2022/185

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 18.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2 के जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 106 पर दर्ज आराजी नम्बर 2569, 2571 किता 2 कुल रकबा 0.1133 हेक्टेयर, खाता संख्या 522 पर दर्ज आराजी नम्बर 2562, 2565, 2576, 2583, 2584, 2590, 2594 किता 7 कुल रकबा 0.4209 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 1094 पर दर्ज आराजी नम्बर 2574, 2575 किता 2 कुल रकबा 0.2105 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रेकार्ड हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के पिता/पति हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर हिस्से की घोषणा चाही गई। न्यायालय का विनम्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:41 IST
Reason: SelfAttested

अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन का बिन्दू विपक्षीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो इससे उनके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:41 IST
Reason: SelfAttested